रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 2, 2001/पौष 12, 1922
No. 3] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 2, 2001/PAUSA 12, 1922

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2001

सा. का. नि. 3(अ).—केंद्रीय सलाहकार परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 27 सितम्बर, 2000 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना सं. 753 (अ), तारीख 27 सितम्बर, 2000 के अधीन ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, 30 दिन के अवसान से पूर्व, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे।

और उक्त राजपत्र जनता को 28 सितम्बर, 2000 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केंद्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सलाहकार परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सलाहकार परिषद् प्रक्रियात्मक (संशोधन) नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सलाहकार परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 3 में "उद्योग" शब्द के स्थान पर "वाणिज्य और उद्योग" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1(1)/95-आई पी]

एम. एस. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 के पृष्ठ 540 पर का.नि.आ. 813 तारीख 8 मई, 1952 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2001

G.S.R. 3 (E).— Whereas certain draft rules further to amend the Central Advisory Council (Procedural) Rules, 1952 were published as required by sub-section (1) of section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 27th September, 2000 under the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) No.GSR 753(E), dated 27th September, 2000 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of 30 days from the date on which the copies of the said Notification in the Official Gazette are made available to the public.

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 28th September, 2000;

And whereas no objections or suggestions have been received by the Central Government on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Advisory Council (Procedural) Rules, 1952, namely :-

(1) These rules may be called the Central Advisory Council Procedural (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Advisory Council (Procedural) Rules, 1952, in rule 3, for the word "Industry", the words "Commerce and Industry" shall be substituted.

[F. No.1(1)/95-I.P.]

M. S. SRINIVASAN, Jt. Secy.

Note :— Principal rules were published vide notification number S.R.O.813 dated the 8th May, 1952 in the Gazette of India, 1952, Extraordinary, Part II, Section 3, page 540.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications Delhi-110054